

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित द्वितीय श्रेणी अध्यापक का अन्तर मण्डल स्थानान्तरण उसके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर लें।

SNO	Name of Employee	Post/ Subject	Sub	वर्तमान पदस्थापित स्थान	जिला	मण्डल	स्थानान्तरित स्थान राउमापि/समापि	जिला	मण्डल
1	DHARMA RAM PRAJAPAT	Teacher grade-II	Science	GOVT. SR. SEC.SCHOOL, CHALAKANA (08171710101)	BARMER	JODHPUR	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAWANDIYA (08141292297)	BARSAR	BJMER

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

- 1 यदि उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण सीधी भर्ती से पदस्थापित परीक्षार्थी कार्मिक का है तो कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- 2 स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक को उसके सम्बन्धित विषय के स्पष्ट रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 3 राजस्थान स्वच्छता ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित शिक्षकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराया जावे।
- 4 वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण के समय स्वच्छता से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरियता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जावे।
- 5 टीएसपी क्षेत्र से नोन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 6 माननीय न्यायालय से रथगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 7 स्वच्छता से अन्तर-मण्डल स्थानान्तरित कार्मिक को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8 नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम-29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक/वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।
- 9 स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण/शाला दर्शन के माध्यम से ही कार्यग्रहण अथवा कार्यमुक्त कराया जाना सुनिश्चित करावे।



(नथमल डिंडेल)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

कमाकं :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/वोल-2/18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय
- 4 संबन्धित संस्था प्रधान /कार्मिक।

दिनांक-16.09.19



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर